## राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
**NATIONAL SCHOOL OF DRAMA**
*(An Autonomous Institution of the Ministry of Culture, Govt. of India)*

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

### निविदा सूचना

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, बहावलपुर हाऊस, 1, भगवानदास रोड, नई दिल्ली–110001 द्वारा प्रतिष्ठित ट्रैवल एजेंसियों से **"कारें और बसें किराये के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु"** दो वर्ष की अवधि के लिए मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्रों को रा.ना.वि. की वैबसाइट **http:www.nsd.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जमा करने की **अंतिम तिथि 20.08.2024 को 1500 बजे तक है।**

रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय

---

### फॉर्म संख्या INC–26
**कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार**
**केंद्र सरकार के समक्ष – क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र)**

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए), यथा संशोधित

एवं

**राइजेंग्लो फाइनेंशियल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड (U67100DL2010PTC199401)** के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय ए–111, प्रीत विहार, दिल्ली 110092 में है। आवेदक / याचिकाकर्ता

### सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के तहत क्षेत्रीय निदेशक को सौंपी गई शक्ति के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें 10 जुलाई, 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाती है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदल सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके एमसीए–21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, जिसका कार्यालय बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 में है, को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज सकता है, साथ ही इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में ऊपर उल्लिखित पते पर भेजनी होगी।

राइजेंग्लो फाइनेंशियल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के लिए
हस्ता /–
वैशाली माहेश्वरी
अतिरिक्त निदेशक
डीआईएन: 02895480
फ्लैट नंबर– 10171 एटीएस वन हैमलेट,
सेक्टर–104 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
नोएडा उत्तर प्रदेश 201304

दिनांक: 30.07.2024
स्थान: दिल्ली

---

## ACE
## एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L74899HR1995PLC053860
पंजी. कार्यालय : दुधोला लिंक रोड, दुधोला, जिला पलवल–121102, हरियाणा
फोन : +91–1275–280111 (50 लाइन्स), फैक्स : +91–1275–280133
ई–मेल: cs@ace-cranes.com, वेबसाइट : www.ace-cranes.com

### सूचना
**कम्पनी के इक्विटी शेयर्स का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) डीमैट खाते में अंतरण**

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 की उप–धारा (6) के प्रावधान तथा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016, जिसमें उसके संशोधन तथा पुनर्अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु, कम्पनी, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षण, अंतरण एवं वापसी) नियमावली, 2016, जिसमें उसके संशोधन तथा पुनर्अधिनियमन शामिल हैं, के अनुसरण में, वे सभी शेयर, जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष **2016–2017** से सात लगातार वर्षों या अधिक हेतु लाभांश **(अंतिम लाभांश)** का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसकी मांग नहीं की गई है, नियत तिथि, **जोकि 30 अक्टूबर, 2024 है,** तक केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के नाम अंतरित कर देगी।

तदनुसार, कम्पनी उन समस्त संबंधित शेयरधारकों को, कम्पनी / रजिस्ट्रार ऐण्ड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए) के रिकार्ड्स में पंजीयद्ध उनके पते पर सूचना भेज चुकी है, जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के संबंधित खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं। कम्पनी पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ace-cranes.com पर भी अपलोड कर चुकी है, जिसमें उन शेयरधारकों का नाम उनका फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी तथा आईईपीएफ खाते में अंतरित किए जाने के भागी शेयरों का विवरण दिया गया है।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि उपरोक्त शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में क्रेडिट किए जाने के पश्चात कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के उपरोक्त नियमों में निर्धारित प्रावधानों तथा प्रक्रिया के सिवाय किसी भी रूप में बिक्री या अंतरण या संव्यवहार के लिए शेयरधारक को उपलब्ध नहीं होंगे।

कृपया यह भी नोट करें कि मांगा नहीं गया लाभांश और संगत शेयर, उन शेयरों पर होने वाले सभी लाभों, यदि कोई, सहित, एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाने के बाद उपरोक्त नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया अपना कर आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस मांगे जा सकते हैं।

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं तथा जिनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं, नोट करें कि कम्पनी शेयरधारकों द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के स्थान पर अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करेगी, अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करने के बाद, कम्पनी कार्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से डिपोजिटरी को अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी डीमैट रूप में परिवर्तित करने और प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगी। डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में, कम्पनी कार्पोरेट कार्यवाही के माध्यम से डिपोजिटरी को शेयरधारकों के शेयर प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित करने हेतु सूचना प्रेषित करेगी।

संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि **वित्तीय वर्ष 2016–2017** और उसके बाद की अवधि हेतु मांगा नहीं गया **लाभांश (अंतिम लाभांश)** कम्पनी / आरटीए को आवेदन देकर **20 अक्टूबर, 2024** तक मांग लें, जिसमें असफल रहने पर उनके शेयर आईईपीएफ डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। मांगे नहीं गए लाभांश की मांग हेतु अथवा यदि आपको किसी जानकारी / स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, कृपया **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड,** कम्पनी के **रजिस्ट्रार ऐण्ड शेयर ट्रांसफर एजेन्ट,** को लिखें अथवा admin@skylinerta.com, cs@ace-cranes.com पर ई–मेल भेजें।

कृते एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड
हस्ता. /–
अनिल कुमार
कम्पनी सचिव

तिथि : 29–07–2024
स्थान : पलवल

---

## पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड
**CIN : L50102UP1982PLC015532**

पंजीकृत कार्यालय : काशीपुर रोड, ठाकुरद्वारा, जिला मोरादाबाद (उ. प्र.)
कॉरपोरेट कार्यालय : एम–14, कनॉट सर्कस (मिडिल सर्कल), नई दिल्ली–110 001
फोन नं. : 91-11-47627400, फैक्स नं. : 91-11-47627497
E-mail : delhi@pasupatiacrylon.com, Website : www.pasupatiacrylon.com

**41वीं वार्षिक आम सभा की सूचना और रिमोट ई–वोटिंग एवं बही समापन की जानकारी**

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 41वीं वार्षिक आम सभा ('एजीएम') बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2024 को सुबह 10:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय काशीपुर रोड, ठाकुरद्वारा, जिला मोरादाबाद–244601 (उ. प्र.) में आयोजित की जाएगी, जिसमें 41वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन देन किया जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, 41वीं एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें बुधवार, दिनांक 14 अगस्त, 2024 से बुधवार, दिनांक 21 अगस्त, 2024 (दोनों दिवस शामिल) तक बंद रहेंगे।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 9 / 2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 एवं परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 सेबी द्वारा जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 11 जुलाई, 2023 के साथ पढा जाय, 41वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी सदस्यों को इलैक्ट्रॉनिक मोड से भेजी गई है जिनके नाम डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्य लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2024 को दर्ज हैं एवं जिनके ईमेल पते कंपनी / आरटीए या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी ("डीपी") के साथ पंजीकृत हैं। 41वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से भेजने का काम 29 जुलाई, 2024 को पूरा हो चुका है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित नियमों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है, जिसमें से सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से 41वीं एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

**सदस्य ध्यान दें कि :**

क) 41वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई–वाटिंग) द्वारा मतदान किया जा सकता है।

ख) रिमोट ई–वाटिंग रविवार, 18 अगस्त, 2024 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होगी और मंगलवार, 20 अगस्त, 2024 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगी।

ग) इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों से या 41वीं एजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट–ऑफ तिथि 14 अगस्त, 2024 होगी।

घ) कोई भी व्यक्ति एजीएम नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि के अनुसार शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

च) 20 अगस्त, 2024 को शाम 5:00 बजे के बाद रिमोट ई–वाटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

छ) 41वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने रिमोट ई–वाटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे 41वीं एजीएम में मतपत्र के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

ज) कोई सदस्य रिमोट ई–वाटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन उसे एजीएम में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

झ) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल एजीएम में वोटिंग के साथ–साथ रिमोट ई–वाटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

ण) 41वीं एजीएम की वार्षिक रिपोर्ट और नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.pasupatiacrylon.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई–वाटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, कृपया 18002109911 पर संपर्क करें या ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com या palsecretarial@gmail.com पर या 11-47627400; पता : एम–14, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 पर संपर्क करें।

कृते पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड
हस्ता. /–
विनीत जैन
प्रबंध निदेशक

दिनांक : 30.07.2024
स्थान : नई दिल्ली

---

## कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

संपत्ति की ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री

**पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई, महाराष्ट्र–400051**
**शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, प्लॉट नं.–7, 7वीं मंजिल, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313**

### अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। "फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "एफआईएचएफसी" कहा जाएगा) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (इसके बाद इसे "बैंक / केएमबीएल / सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 24.01.2024 को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाएगा) का भौतिक कब्ज़ा ले लिया है। इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ने ऋण खाता संख्या 609107210445407 के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री नबी मोहम्मद और श्रीमती शबनम द्वारा लिया गया ऋण 29–07–2024 तक बकाया रु. 32,52,028 / –(रुपये बत्तीस लाख बावन हजार अट्ठाईस मात्र)की वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को "जैसा है जहां है" "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ है" के आधार पर बेचने का फैसला किया है।

| विशेष | विवरण |
|---|---|
| नीलामी की तिथि | 22.08.2024 |
| नीलामी का समय | 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच |
| आरक्षित मूल्य | रु.14,00,000 / – (केवल चौदह लाख रुपये) |
| बयाना राशि जमा (ईएमडी) | रु.1,40,000 / –(केवल एक लाख चालीस हजार रुपये) |
| केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि | 21.08.2024 सायं 5:00 बजे तक (आईएसटी) |

**सुरक्षित संपत्ति का विवरणः** "दीप अपार्टमेंट **XIV**"– आवासीय प्लॉट नंबर ए–8 / 2, डी .आई.अंकुर विहार गांव लोनी, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित फ्लैट नं. 303 वाली संपत्ति का वह हिस्सा एवं अंश, जिसमें छत / छज्जा के अधिकार के साथ दूसरी मंजिल, पीछे की तरफ 1 ड्राइंग / डाइनिंग रूम, तीन बेडरूम, दो शौचालय, एक रसोई और एक बालकनी निर्मित है, कुल और कवर्ड एरिया 650 वर्ग फीट यानी 60.38 वर्ग मीटर है। उक्त फ्लैट में 3 मंजिला इमारत (जी+2) है। इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः मार्ग, पश्चिमः प्लॉट नंबर ए–8 / 3, उत्तरः अन्य संपत्ति, दक्षिणः 9 मीटर की सड़क।

| ज्ञात भार | शून्य |
|---|---|

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण / आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री नकुल गुप्ता (+91 8700867857), और श्री सोमेश सुंदरियाल (+91 9910563402) से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता लिमिटेड बैंक के आईवीआर नंबर (+91–9152219751) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् **www.kotak.com** तथा / अथवा **https://bankauctions.in/** पर उपलब्ध लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.ht ml** देखें।

प्राधिकृत अधिकारी,
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 31.07.2024

---

## फेडरल बैंक
**आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार**

एलसीआरडी / नई दिल्ली डिविजन, यू.जी.एफ., फेडरल टॉवर्स, 2 / 2 वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली–110008 फोन नं. 011–40733980, 40733978 ई–मेलः ndllcrd@federalbank.co.in
CIN: L65191KL1931PLC000368 वेबसाईटः www.federalbank.co.in

**सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना.**

(1) श्री / श्रीमती रामराज ग्रेवाल, पुत्र चांद पाल, मेसर्स एसजी प्लास्टिक के मालिक, खसरा संख्या 14 / 16, 14 / 17, पिछला भाग भूतल, शिव मंदिर कॉलोनी, मेन सैय्यदाबाद रोड, जॉनी फार्म के पास, नरेला, दिल्ली–110040,
(2) श्री / श्रीमती बबीता कुंडू, पत्नी रामराज ग्रेवाल, खसरा नं.14 / 16, 14 / 17, पिछला भाग भूतल, शिव मंदिर कॉलोनी, मेन सैय्यदाबाद रोड, जॉनी फार्म के पास, नरेला, दिल्ली – 110040,

आप में से प्रथम ने मुख्य उधारकर्ता के रूप में और दूसरे ने गारंटर / सह–दायित्वकर्ता / बंधककर्ता के रूप में रु.25,50,000 / – (पच्चीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का वाणिज्यिक वाहन ऋण (सीवी / सीई) संख्या 14746900000474 के साथ 31.01.2024 को अपने प्रथम पक्ष के स्वामित्व की कार्यशील पूंजी / व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए बैंक के पक्ष में आवश्यक सुरक्षा समझौते / ऋण दस्तावेज निष्पादित करने के बाद मेसर्स एस जी प्लास्टिक के नाम और शैली में ऋण लिया था।

बैंक से प्राप्त उपरोक्त ऋण सुविधाओं की सुरक्षा के लिए, आपने निम्नलिखित वाहनों के संबंध में बैंक के पक्ष में बंधक के माध्यम से सुरक्षा हित बनाया हैः –

### बंधक चल संपत्ति का विवरण
**आयशर प्रो 3019 का बंधक, चेसिस नंबर– MC2CAMRCORA102119, इंजन नंबर–E426CDRA462435, 2024 मॉडल, डीजल, पंजीकरण संख्या–नया**

पूर्वोक्त बंधक /गिरवी रखी गई संपत्ति को इसके बाद प्रतिभूति संपत्ति के रूप में संदर्भित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी फेडरल बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते आपको सूचित करते हैं कि बैंक की नई दिल्ली / रोहिणी शाखा में रखे गए आपके वाणिज्यिक वाहन ऋण (सीवी / सीई) के अंतर्गत 22.06.2024 तक आपसे संयुक्त रूप से और अलग–अलग रु.26,58,046 / – (छब्बीस लाख अट्ठावन हजार छियालीस रुपये मात्र) की राशि बकाया है। पुनर्भुगतान में चूक को देखते हुए, आपके ऋण खाते को आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार 22.06.2024 को गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एतद्द्वारा आपसे इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर 22.06.2024 से भुगतान की तारीख तक अतिरिक्त / दंडात्मक शुल्क और लागत के साथ मासिक छूट के साथ आपका वाणिज्यिक वाहन ऋण (सीवी / सीई) में प्रति वर्ष 10.51: की दर से भुगतान और लागत की तारीख तक आप संयुक्त रूप से और अलग–अलग उक्त राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। जिसमें विफल होने पर, बैंक अधिनियम की धारा 13 के तहत आपके और ऊपर उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को उनका कब्जा लेने, पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री, या अधिग्रहण के माध्यम से उन्हें स्थानांतरित करने के अधिकार सहित आपको बिना किसी नोटिस के बकाया राशि की वसूली के लिए सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन सहित अपने सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

यह सूचित किया जाता है कि, आप बैंक की लिखित सहमति के बिना उपरोक्त उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी तरह से स्थानांतरित नहीं करेंगे। अपनी देयता का निर्वहन करने में आपकी विफलता की स्थिति में और बैंक ऊपर बताए गए अनुसार उपचारात्मक कार्रवाई शुरू करता है, आप उस संबंध में किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के लिए बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि बकाया राशि प्रतिभूति परिसंपत्तियों की बिक्री से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो बैंक बिना किसी सूचना के शेष राशि की वसूली के लिए व्यक्तिगत रूप से आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों (प्रतिभूति संपत्तियों) को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह नोटिस बैंक के बकाया की वसूली के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है।

यह नोटिस 2 जुलाई 2024 के दिन जारी किया गया था और इसे आप पर तामील किया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके लिए सरफेसी अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की आवश्यकता है।

आज दिनांक 30 जुलाई 2024

कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, सह उपाध्यक्ष
(सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी)

---

### Public Notice

Notice is hereby given that Share Certificate No 36399 & 36400, for 200* ordinary shares bearing Distinctive Nos 4555217-4555316 & 4555317-4555416 respectively of Avantel Limited in the name of SPA Capital Services Limited has been reported lost and an application has been made for issue of duplicate share certificate. Any person who claims regarding the said Shares, may inform same to the Company at its Registered Office.

**After corporate action, as of today total number stands 12,000.

---

### सूचना

**क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ,**
**नई दिल्ली के समक्ष**
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा
12 एवं 13 के मामले में
तथा

**पायन प्रेसीजन कम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 122–सी, सी–8/2 लेन, सैनिक फार्म, डा. अम्बेदकर नगर, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, भारत, 110062 में है, के मामले में।

कम्पनी के मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन के प्रस्ताव के संदर्भ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धार 12 एवं 13 तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6) के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' से ''हरियाणा राज्य'' में उसके पजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिये मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II में परिवर्तन के लिये 27.4.2024 को आयोजित उसकी असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार आरक्षित उसके मेमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 एवं 13 के अंतर्गत यह कम्पनी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ, नई दिल्ली के समक्ष आवेदन दाखिल करने का प्रस्ताव करता है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–ब्लॉक, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेंः

बोर्ड की ओर से
कृते, पायन प्रेसीजन कम्पोनेन्ट्स
प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./–
नितिन गुलाटी
निदेशक,
DIN: 01978503

तिथिः 31.07.2024
स्थानः नई दिल्ली

---

### प्ररूप संख्या आईएनसी–26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
**केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष**
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
और
**सीयूआन इलेक्ट्रिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
(CIN: U31900HR2012FTC056391)
जिसका पंजीकृत कार्यालय : एचडी – 097, वीवर्क डीएलएफ फोरम साइबर सिटी, फेस III, गुरुग्राम, हरियाणा– 122002, भारत में है, के मामले में
**....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"हरियाणा राज्य"** से **"आंध्र प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए **29 मार्च 2024** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजें।
**एचडी – 097, वीवर्क डीएलएफ फोरम साइबर सिटी, फेस III, गुरुग्राम, हरियाणा–122002, भारत**

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
**सीयूआन इलेक्ट्रिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड**
हस्ता / –
**इमरान अहमद** (निदेशक)
डीआईएन : 09155899

दिनांक : 31.07.2024
स्थान : गुरुग्राम

---

## चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड
Chola — *Enter a better life*

**कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी 54 एवं 55, 4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600 032**

### कब्जा सूचना नियम [(परिशिष्ट 4) नियम 8(1) के अधीन]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) नीचे वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों **(नाम और पता नीचे वर्णित)** से उक्त सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

यहां नीचे वर्णित कर्जदार तथा सर्वसाधारण को उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

| कर्जदार/रों का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या | मांग सूचना की तिथि | बकाया राशि | कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण | कब्जा की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| ऋण खाता सं. LAP1FZD000082049<br>**1. धन पाल**<br>**2. रूकमा देवी**<br>**3. सचिन कुमार**<br>**सभी का पता :** 2746, वार्ड नंबर 8, बोहरा कालोनी, मालपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, निकट मंदिर, धारूहेड़ा–123110<br>**अन्य पता :** गाटा नंबर 74, नेहा गेस्ट हाउस, विजेन्द्र कालोनी, मेहराबाद, शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश–283135 | 22-05-2024 | रू. 23,10,785 / –<br>(रूपए तेईस लाख दस हजार सात सौ पिच्यासी मात्र)<br>21–05–2024 तक | सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : आवासीय मकान, कुल निर्मित क्षेत्रफल – 1421 वर्ग फीट यानी 132.06 वर्ग मीटर, वार्ड नंबर 20, मोहल्ला विजेन्द्र कालोनी, खसरा नंबर 74, मौजा मेहराबाद, तहसील शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश–283135, चौहद्दी निम्नानुसार – पूरब : राकेश कुमार का प्लॉट, पश्चिम : 18 फीट चौड़ी रोड, उत्तर : विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण : ममता देवी का प्लॉट | 27–07–2024<br>(कब्जा) |

**स्थान : फिरोजाबाद**
**तिथि :** 27–07–2024

हस्ता./– **प्राधिकृत अधिकारी,**
**चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड**

---

## आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड
ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

**पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266**
**कॉर्पोरेट कार्यालयः 10वीं मंजिल, आर टेक पार्क, निरलॉन कॉम्प्लेक्स, हब मॉल के पास, गोरेगांव (पूर्व) मुंबई–400 063, महाराष्ट्र**

### ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 30 दिवसीय नीलामी बिक्री सूचना।

जैसा कि, आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) की धारा 13(2) के तहत निम्नलिखित कर्जदारों तथा सह–कर्जदारों से नीचे उल्लिखित बकायों तथा उस पर भावी ब्याज एवं लागत के लिए प्रतिभूत क्रेडिटर के ऋणों की वसूली हेतु जारी सूचना के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया था। एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से कर्जदारों और सह–कर्जदारों को नोटिस दिया जाता है कि आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के बकाये ऋण की वसूली के लिए निम्नलिखित संपत्ति की ई–नीलामी ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो है यही है'' आधार पर आयोजित की जाएगी।

**ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 05.09.2024, 11.00 बजे पूर्वा. से 01.00 बजे अप.**
**केवाईसी एवं जमा धरोहर राशि (ईएमडी) प्राप्ति की अन्तिम तिथि : 04.09.2024**

| क्र. सं. | कर्जदारों तथा सह–कर्जदारों के नाम | सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का विवरण तथा कब्जा करने की तिथि | आरक्षित मूल्य (रु. में) | जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रु. में)/वृद्धि मूल्य | मांग सूचना की तिथि तथा कुल राशि (रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. श्री पप्पू पप्पू पुत्र शेर मोहम्मद<br>2. एम.डी. सुप्रीम ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसके मालिक श्री पप्पू पप्पू के माध्यम से<br>3. श्रीमती सहनाज सहनाज पत्नी श्री पप्पू पप्पू<br>ऋण खाता संख्याः **ABNDSTS000000523784** | आवासीय प्लॉट संख्या/मकान संख्या 3520, क्षेत्रफल 218.90 वर्ग मीटर सेक्टर 56–56ए, अर्बन एस्टेट फरीदाबाद (एचएसवीपी), उप तहसीलः गौंछी, जिलाः फरीदाबाद, हरियाणा–121 004 पर स्थित।<br>(सांकेतिक कब्जा) | **रु. 95,00,000/– (रुपये पिचानबे लाख मात्र मात्र)** | **रु. 9,50,000/– (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र) /रु. 25,000/– (रुपये पच्चीस हजार मात्र)** | 11.12.2023 तथा 29,89,724.26 (रुपये उनतीस लाख नवासी हजार सात सौ चौबीस एवं छब्बीस पैसे मात्र) तिथि 11.12.2023 तक बकाया |

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात **https://personalfinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act.aspx** देखें।

सम्पर्क नं. (1) आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, अधिकृत प्राधिकारी (1) श्री अपूर्व थॉमस डांठी (**apoorva.danthi@ adityabirlacapital.com**), मो.नं. 9930909725. आप निकटवर्ती शाखा पर जा सकते हैं या सम्पर्क करें : (2) आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, श्री मोहित शर्मा : **mohit.sharma15@adityabirlacapital.com**) मोबाइल नं. 9873913955. (3) श्री वेद प्रकाश मिश्रा (**vedprakash.mishra@adityabirlacapital.com**) मो.नं.–9004026790, 4) श्री राजेश पटसरिया (**Rajesh.patsariya@adityabirlacapital.com**) मो.नं. 9399747164

**स्थान : फरीदाबाद, हरियाणा**
**तिथि :** 31.07.2024

**ह./– अधिकृत प्राधिकारी,**
**आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड**

---

## पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
Piramal Finance

सीआईएन : **L65910MH1984PLC032639**
पंजीकृत कार्यालय : यूनिट नंबर –601, 6ठी मंजिल पीरामल एमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई-400070 –दूरभाष : +91 22 3802 4000
शाखा कार्यालयः प्लॉट नंबर-6, ब्लॉक-ए, सेक्टर 2, नोएडा उ.प्र.- 201301

**संपर्क व्यक्ति : 1. विक्की कुमार – 9650606340, 2. पंकज कश्यप – 9136178689, 3. रोहन सावंत – 9833143013.**

**ई-नीलामी बिक्री सूचना-अनुगामी बिक्री**

जनसाधारण को नीचे दी गई बकाया राशि की वसूली के लिये वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति के कब्जे के अनुपालन में भौतिक कब्जे में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति को "जैसा है जहां है आधार", "जो भी जैसा है आधार" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर खरीद के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित है जिसके विवरण निम्नलिखित है :

| ऋण कोड शाखा/कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों) | मांग सूचना की तिथि एवं राशि | सम्पत्ति का पता-अन्तिम | आरक्षित मूल्य | जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%) | बकाया राशि (18-06-2024) |
|---|---|---|---|---|---|
| ऋण कोड संख्या: 26600001315, दिल्ली राजौरी गार्डन (शाखा), आदित्य मलिक (कर्जदार), पंकज मलिक (सह-कर्जदार 1) | दिनांक: 26-04-2022, रु. 1,18,86,903/-, (रुपये एक करोड़ अठारह लाख छियासी हजार नौ सौ तीन मात्र) | अविभाजित सम्पत्ति का समस्त भाग : प्लॉट नं. 9/1 तीसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, खसरा नं. 808, राज बाग कॉलोनी, आराधना सिनेमा के पास, गाजियाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201005, सीमाएँ:- उत्तर: पार्क दक्षिण: प्रवेश पूर्व: प्लॉट नं. 9/2 पश्चिम: प्लॉट नं. 8 | रु. 7,66,000/-, (रुपये सात लाख छियासठ हजार मात्र) | रु. 76,600/-, (रुपये छिहत्तर हजार छः सौ मात्र) | रु. 23,17,057/-, (रुपये तेईस लाख सत्रह हजार सत्तावन मात्र) |

**ई-नीलामी की तिथि : 21.08.2024, 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार सहित),**
**संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 20.08.2024 को 4.00 बजे अप. से पूर्व**

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए **www.piramalfinance.com/e-Auction.html** में प्रावधानित लिंक देखें या हमें **piramal.auction@piramal.com** पर ई-मेल करें।

**कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को सरफैसी अधिनियम के तहत 15 दिवसीय सांविधिक सूचना**

उपरोक्त उल्लिखित कर्जदार/गारंटर को एतद्वारा धारा 13(2) नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान अर्जित ब्याज के साथ पूर्ण रूप से नीलामी की तिथि से पहले तक करने के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और शेष राशि यदि कोई होगी कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत के साथ वसूल किया जाएगा।

तिथि : 31 जुलाई, 2024, स्थान : दिल्ली
ह./- (अधिकृत प्राधिकारी), पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

---

## शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
**पंजीकृत कार्यालय : 501, सैल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110025**
**सीआईएन : U65900DL2020PLC366027**

### परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण (''सरफैसी अधिनियम'') तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अर्थों में शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. बैंकिंग कम्पनी, पंजीकृत पता 501, सैल्कन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110025 तथा मुख्य कार्यालय 6ठी मंजिल, टॉवर–3, इंडिया ग्लाइकॉल्स बिल्डिंग, प्लॉट नं. 2बी, सेक्टर 126, नोएडा–201304 का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार/रों/पक्षों से कथित माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी।

निम्नलिखित कर्जदार/रों/जमानती/यों/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, कर्जदार/रों/बंधककर्ता तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

नीचे उल्लिखित कर्जदार/रों/जमानती/यों/बंधककर्ता को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं प्रतिस्थापित ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों तथा प्रभारों आदि सहित शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

| कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) का नाम | अचल सम्पत्तियों का विवरण | माँग सूचना की तिथि तथा राशि कब्जा सूचना की तिथि एवं खाता संख्या |
|---|---|---|
| 1. श्री बाबू राम सैनी पुत्र श्री बौराम सैनी (कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी रिलायंस टावर के पास बंजारन नकुड़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247342, 2. श्री अंकुर सैनी पुत्र श्री बौराम सैनी (सह–कर्जदार) निवासी रिलायंस टावर के पास बंजारन नकुड़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247342, 3. श्रीमती रमेशो देवी पत्नी बाबू राम सैनी (सह–कर्जदार) निवासी रिलायंस टावर के पास बंजारन नकुड़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247342, 4. श्री अभिषेक सिंघल पुत्र श्री प्रवीण सिंघल (गारंटर) निवासी मोहल्ला चौधरियान निकट बाला सुंदरी मंदिर नकुड़ सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247342 | संपत्ति पर इक्विटेबल बंधकः आवासीय संपत्ति, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.63 वर्ग मीटर है, आबादी ग्राम, चंद्रपाल खेरी परगना और तहसील नकुड़ जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 506 पर स्थित है, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 9139, पेज नंबर 121–140 सीरियल नंबर 5405 दिनांक 30–04–2019 के राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत है। श्री बाबू राम सैनी के नाम पर। सीमाएंः उत्तर : दीगर प्लॉट, दक्षिण : रोड 6 फीट पश्चिम : बाबू राम का घर, पूर्व : विक्रेता के प्लॉट | मांग सूचना दिनांकः– 03–05–2024<br>कब्जे की सूचना दिनांकः 26–07–2024<br>बकाया राशिः रु. 1,22,000/– (रुपये एक लाख बाईस हजार मात्र)<br>खाता संख्या 100541510021 और 100546510597 के विरुद्ध |
| 1. श्री जगपाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह (कर्जदार बंधककर्ता) निवासी ग्राम बरौला, सेक्टर 49 नोएडा दादरी गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश 201304, 2. श्रीमती सुमन सिंह पत्नी श्री जगपाल सिंह (सह–कर्जदार) निवासी ग्राम बरौला, सेक्टर 49 नोएडा दादरी गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश 201304, 3. श्री देवेन्द्र कश्यप पुत्र श्री मूलचंद कश्यप (गारंटर) निवासी मकान नंबर 0946 जे जे कॉलोनी सेक्टर 49 बरूला नोएडा दादरी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201304, 4. श्री सरोज बाला सुपुत्री श्री शिवदत्त शर्मा (गारंटर) निवासी मकान नं. 78, बरौला, सेक्टो 49 नोएडा दादरी गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश 201304 | संपत्ति पर इक्विटेबल बंधकः आवासीय प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 50.16 वर्ग मीटर है (20.15 वर्ग फीट) खसरा नंबर 1034, गाँव बरौला परगना और तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित, राजस्व अभिलेखों में बही नंबर 1, जिल्द नंबर 2247, पेज नंबर 789–804 सीरियल नंबर 8827 दिनांक 24–12–2008 को पंजीकृत। श्री जगपाल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह के नाम पर अचल संपत्ति/संपत्ति, सीमाएं– पूर्व : विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम : प्लॉट विक्रेता का, उत्तरः प्लॉट विक्रेता का, दक्षिणः प्लॉट सड़क 6.50 फीट चौड़ी | मांग सूचना दिनांकः– 09–05–2024<br>कब्जे की सूचना दिनांकः 29–07–2024<br>बकाया राशिः रु. 6,60,000/– (रुपये छह लाख साठ हजार मात्र) खाता संख्या 101641001924 के विरुद्ध |
| 1. मोहम्मद साजिद पुत्र मोहम्मद नानू (कर्जदार/बंधककर्ता) निवासी मकान नं. 500, लाल मस्जिद के पास मोहल्ला ख्वाज बख्श देवबंद, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247554, 2. श्री हसीन अहमद पुत्र नसीम अहमद (गारंटर) निवासी मोहल्ला ख्वाज बख्श देवबंद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247554, 3. श्री भरत शर्मा पुत्र गोविंद शर्मा (गारंटर) निवासी रविदास मार्ग, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247554, 4. श्री राघवेद्र कुमार कंछल पुत्र आनंद प्रकाश (गारंटर) निवासी कायस्थवाड़ा देवबंद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश 247554 | संपत्ति पर इक्विटेबल बंधकः आवासीय प्लॉट, क्षेत्रफल 80.78 वर्ग गज यानी 67.57 वर्ग मीटर, मोहल्ला ख्वाज बख्श टाउन देवबंद परगना और तहसील देवबंद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित, राजस्व अभिलेखों में बही नंबर 1, जिल्द नंबर 4258, पृष्ठ संख्या 117–148, क्रमांक 5223 दिनांक 26–05–2014 को मोहम्मद साजिद पुत्र मोहम्मद नानू के नाम पर पंजीकृत। सीमाः उत्तर : श्रीमती शराज की संपत्ति, दक्षिणः सड़क 7 फीट चौड़ी, पश्चिमः श्रीमती शराज की संपत्ति, पूर्वः श्री रईस और अनीस अहमद का मकान | मांग सूचना दिनांकः– 10–04–2024<br>कब्जे की सूचना दिनांकः 25–07–2024<br>बकाया राशिः रु. 1,81,000/– (रुपये एक लाख इक्यासी हजार मात्र) खाता संख्या 100441005142 के विरुद्ध |

दिनांक : 26.07.2024/29.07.2024/25.07.2024
स्थान : नोएडा
अधिकृत प्राधिकारी, कृते शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

---

## कार्यालयः रिकवरी अधिकारी,
## ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली
4था तल, जीवनतारा भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

### बिक्री उद्घोषणा

आर.सी. नं. 78/2019

**जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड बनाम उत्तम बिल्डर्स एवं अन्य**

**बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाए ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के अंतर्गत बिक्री उद्घोषणा**

**सीडी1ः मेसर्स उत्तम बिल्डर्स (रजिस्टर्ड),** बी–10/1, राजौरी गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली–110027, इसके प्रोपराइटर के माध्यम से।
**सीडी2ः श्री सतपाल बब्बर पत्नी श्री शंकर दास,** निवासी 9/4 राजौरी गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली–110027
**सीडी3ः रीता बब्बर पत्नी श्री सतपाल बब्बर,** निवासी 9/4 राजौरी गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली–110027

1. जैसा कि प्रमाणपत्र लेनदारों से वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों तथा प्रभारों सहित 31.03.2014 से वसूली तक 17% वार्षिक भावी ब्याज तथा पेंडेंटेलाइट सहित रु. 6,10,94,010.97/– (रुपये छः करोड़ दस लाख चौरानबे हजार दस एवं सत्तानबे पैसे मात्र) की वसूली के लिए पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण–कद्वारा टीए सं. 52/15 दिनांक 25.02.2019 में वसूली प्रमाणपत्र नं. 78/2019 आहरित किया गया है।
2. तथा जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाण पत्र की संतुष्टि के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. तथा जैसा कि 31.03.2014 से वसूली तक 17% वार्षिक भावी ब्याज सहित रु. 6,10,94,010.97/– (रुपये छः करोड़ दस लाख चौरानबे हजार दस एवं सत्तानबे पैसे मात्र) की राशि के तहत बकाया होगा। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में 26.07.2024 को 12.00 बजे अप. से 1.00 अप. बजे के बीच, यदि जरूरी हुआ तो 1.00 अप. के बाद 5 मिनट के विस्तार के साथ में ई–नीलामी द्वारा उक्त संपत्ति की बिक्री की जाएगी तथा यह बोली ''ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक बोली'' के माध्यम से वेबसाईट **http://drtauctiontiger.net** पर होगी।
4. ई–नीलामी की जाने वाली प्रस्तावित सम्पत्ति का विवरण निम्नलिखित है :

| क्रम सं. | सम्पत्तियों का विवरण | आरक्षित मूल्य/ईएमडी | ईएमडी |
|---|---|---|---|
| 1 | संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड-88, राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली | रु. 6.76 करोड़ | रु. 68.00 लाख |

5. ईएमडी पहचान प्रमाण (वोटर आई कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) की स्वप्रमाणित प्रति सहित जिस पर भावी सम्पर्क का पता तथा स्व–प्रमाणित पैन की प्रति संलग्न हो, रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता आर.सी. सं. 78/2019 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से भुगतान किया जाना है जो रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के पास अधिकतम 02.09.2024 को 5.00 बजे अप. से पूर्व पहुंच जानी चाहिए। उसके बाद प्राप्त की गई ईएमडी पर विचार नहीं किया जायेगा। सफल बोलीदाता के मामले में उक्त जमा समायोजित कर ली जायेगी। असफल बोलीदाता ई–नीलामी बिक्री की प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से अपनी ईएमडी सेवा प्रदाता/बैंक/वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं।
6. ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक के विवरण अर्थात पता, ई–मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर आदि सहित ''टी.आर.सी. सं. 78/2019'' लिखा होना चाहिए।
7. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोलीदाता के पास एक वैध लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड और ई–मेल पता तथा पैन नम्बर होना चाहिए। लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड से सम्बन्धित विवरण के लिए कृपया सम्पर्क करें : मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (ऑक्शनटाइगर) अहमदाबाद, संपर्क नंबर – 079–40230812/11/10/09/08/07/06 मोबाइल 09002715034, ई–मेलः wb@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net
8. सम्भावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना तथा अग्रिम में मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (ऑक्शनटाइगर) से यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना अनिवार्य है जो उपरोक्त ई–नीलामी में बोली के लिए अनिवार्य है।
9. सम्बन्धित बैंक अधिकारियों/हेल्पलाइन नम्बर आदि का विवरण निम्न प्रकार है :

| नाम तथा पद | ई–मेल तथा दूरभाष नं. |
|---|---|
| आफताब अहमद, एसोसिएट एक्जीक्यूटिव, विधि विभाग | ई–मेल : **iapmd.del@jkbmail.com, मोबाइल नं.** 9899111390 |

10. जो बेचे जाने का प्रस्ताव है वे ऐसे अधिकार हैं जिनके लिए सर्टिफिकेट देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो, के साथ बेचा जाएगा। उद्घोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा वसूली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है, वसूली अधिकारी किसी भी कारण से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। संपत्तियों की बिक्री 'जहां है जैसी है' और 'जो है यही है' शर्त पर की जाएगी।
11. संभावित बोलीदाताओं द्वारा संपत्ति का निरीक्षण बिक्री की तिथि से पूर्व 26/08/2024 से 28/08/2024, (09:00 बजे पूर्वा. से 05:00 बजे अप. के बीच) किया जा सकता है जिसके लिए उपर्युक्त बैंक के नामित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।
12. अतार्किक पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताए किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
13. असफल बोलीदाताओं को अपनी ईएमडी डीआरटी–ककी रजिस्ट्री से पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार तथा पीएसयू द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की पहचान/प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी। असफल बोलीदाता अपनी ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और यदि उचित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तुरंत रिकवरी अधिकारी, डीआरटी– I, दिल्ली/रजिस्ट्री, डीआरटी–I, दिल्ली या बैंक से संपर्क करें।
14. बिक्री उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और दावा जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के सम्मुख अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।
15. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में बिक्री के लिए रखा जाएगा, यदि वसूली की जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संतुष्ट हो जाती है तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि किसी भी लॉट के नॉक डाउन से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है या उसकी संतुष्टि के लिए सबूत दिया जाता है कि राशि ऐसे प्रमाणपत्र, ब्याज और लागत का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है, तो भी बिक्री को रोक दिया जायेगा।
16. कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो बिक्री के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर्तव्य का निर्वहन करता है, बोली लगाने, कोई हित अर्जित करने या बेचने का प्रयास नहीं करेगा।
17. बिक्री आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों और आगे की शर्तों के अधीन होगीः संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार हैं, लेकिन अधोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
18. जिस राशि से बोली बढ़ाई जानी है वह रुपये 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र) के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को दुबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा।
19. सफल/उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते उनके द्वारा प्रस्तावित बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यदि उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य स्पष्ट रूप से अपर्याप्त लगे तथा ऐसा करना स्पष्ट रूप से अव्यावहारिक हो तो अधोहस्ताक्षरी स्वेच्छा से उच्चतम बोली को अस्वीकार कर सकते हैं।
20 सफल/उच्चतम बोलीदाता ईएमडी समायोजित करने के बाद ई–नीलामी की समाप्ति तथा उच्चतम बोलीदाता घोषित होने के तुरन्त बाद 24 घंटे के भीतर रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता ''आर.सी. नं. 78/2019'' के पक्ष में धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के बाद 25% क्रय राशि राशि का डीडी/पे आर्डर जमा करना होगा जो रिकवरी अधिकारी कार्यालय में इस प्रकार भेजनी/जमा करनी होगी जो ई–नीलामी की समाप्ति के 3 दिनों के भीतर पहुंच जाए, अन्यथा धरोहर राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
21. सफल/उच्चतम बोलीदाता को संपत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश दिवस होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस में रजिस्ट्रार, डीआरटी–I, दिल्ली के पक्ष में रु. 1000/– तक 2% की दर से तथा रु. 1000/– से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–कके समक्ष शेष 75% बिक्री राशि का ''रिकवरी अधिकारी, डीआरटी–क, दिल्ली खाता आर.सी. 78/2019'' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पेआर्डर का भुगतान करना होगा। (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उपरोक्त रूप से रिकवरी अधिकारी पास पहुंच जाए)।
22. निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं सरकार के पक्ष में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग के लिये दावे करने से वंचित हो जाएंगे जिसके लिये बाद में उसकी बिक्री की जाएगी।

**सम्पत्ति की अनुसूची**

| लॉट सं. | बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण सह–स्वामियों सहित जहां सम्पत्ति चूककर्ता तथा सह–स्वामी के रूप में किसी अन्य से संबंधित है | संपत्ति या उसके किसी भाग पर गणना की गई राजस्व | ऐसा किसी अधिभारों का विवरण जो संपत्ति पर देय है | दावे, यदि कोई हो, जिसे संपत्ति पर रखा गया हो तथा उस प्रकृति एवं मूल्य के कोई अन्य ज्ञातं विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड-88, राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली | कोई सूचना प्राप्त नहीं | | |

मेरे हस्ताक्षर तथा मुहर सहित 22.07.2024 को दी गयी।

रिकवरी अधिकारी,
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

www.readwhere.com